**न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट, हापुड**
**उपस्थितः– ज्ञानेन्द्र सिंह यादव (उच्चतर न्यायिक सेवा) ; (UP-6237)**
**UPHP010050542026**

**Bail Application/1527/2026**
**Ajay Vs. State of U.P.**
**जमानत प्रार्थना पत्र संख्या– 1527/2026**

अजय पुत्र श्री सुरेश निवासी ग्राम असौडा , थाना हापुड देहात , जिला हापुड ।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य।

सत्र परीक्षण सं0 346/2020
मु0अ0सं0 395/2019
अन्तर्गत धारा– 354,323,506 भा0द0सं0
7/8 पोक्सो एक्ट
थाना हापुड देहात ,जिला– हापुड़।

14.07.2026

अभियुक्त अजय पुत्र श्री सुरेश की तरफ से यह द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र उपरोक्त प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह कहा गया है कि प्रार्थी /अभियुक्त निर्दोष है, उसे साजिशन झूंठा फंसाया है। कोई स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष साक्षी नहीं है । अभियुक्त ने आरोपित अपराध नहीं किया है । अभियुक्त अन्य मु0अ0सं0 321/2025,अन्तर्गत धारा– 137(2),65(1),बी0एन0एस0,3/4 पोक्सो एक्ट,थाना हापुड देहात ,जिला– हापुड़ में दि0 24.09.2025 से जिला कारागार में निरूद्ध हो जाने के कारण नियत तिथि पर न्यायालय में उपस्थित न हो सका , अभियुक्त की अनुपस्थिति के कारण न्यायालय द्वारा उसके विरूद्ध गैर जमानती वारन्ट जारी कर दिए गए थे । अभियुक्त ने जानबूझकर कोई गलती नहीं की है । भविष्य में प्रार्थी/अभियुक्त प्रत्येक दिनांक पर हाजिर आता रहेगा। अभियुक्त दि0 01.01.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है । जमानत पर मुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

इसके विपरीत विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौज0) द्वारा जमानत

Digitally signed by GYANENDER SINGH YADAV
Date: 2026.07.15 17:03:12 IST
Reason: order
Location: District and Sessions Court

का विरोध किया गया तथा कथन किया गया कि अपराध गम्भीर प्रकृति का है। जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का अनुरोध किया गया है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अभियुक्त पूर्व में जमानत पर था । अभियुक्त का कथन है कि अभियुक्त अन्य मु0अ0सं0 321/2025, अन्तर्गत धारा 137(2),65(1),बी0एन0एस0,3/4 पोक्सो एक्ट,थाना हापुड देहात ,जिला– हापुड़ में दि0 24.09.2025 से जिला कारागार में निरूद्ध हो जाने के कारण नियत तिथि पर न्यायालय में उपस्थित न हो सका , अभियुक्त की अनुपस्थिति के कारण न्यायालय द्वारा उसके विरूद्ध गैर जमानती वारन्ट जारी कर दिए गए थे । अभियुक्त ने जानबूझकर कोई गलती नहीं की है । भविष्य में प्रार्थी/अभियुक्त प्रत्येक दिनांक पर हाजिर आता रहेगा। अभियुक्त दि0 29.06.2026 से प्रश्नगत प्रकरण में जिला कारागार में निरूद्ध है । मामले के सम्पूर्ण तथ्य व परिस्थितियों में , मेरिट पर बिना कोई मत दिये आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर सशर्त मुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तदनुसार जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अस्तु आवेदक/अभियुक्त अजय पुत्र श्री सुरेश की जमानत उपरोक्त मामले में स्वीकार की जाती है। तदनुसार आवेदक/अभियुक्त द्वारा सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि पर अंकनः 50,000/– रूपये का निजी बंधपत्र इसी धनराशि का एक जमानती दाखिल करने पर निम्न शर्त पर जमानत पर रिहा किया है–

1. अभियुक्त दौरान विचारण किसी भी साक्षी को डरायेगा धमकायेगा नही, न ही किसी भी तरह से प्रभावित करेगा ।

2. अभियुक्त दौरान विचारण पत्रावली निस्तारण करने में समुचित सहयोग प्रदान करेगा और प्रत्येक तिथि पर स्वयं या अपरिहार्य परिस्थिति में द्वारा अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित रहेगा ।

(ज्ञानेन्द्र सिंह यादव )

अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट,
हापुड।